2025/229

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 102/2025 (128 भू.राज. अधि.) प्रा.प. GCMS No. 2025/229

श्रीमती शान्ता देवी पत्नी श्री जसवन्त सिंह बापना, आयु वयस्क, निवासी मकान संख्या 207, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 3, उदयपुर (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुराबड, उदयपुर

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश भोई अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कल्पित जैन पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 05.06.2026

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा झरनो की सराय, पटवार क्षेत्र देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में खाता संख्या 160, पुरानी 155 होकर आराजी संख्या 234 रकबा 0.0500, आराजी संख्या 235 रकबा 0.3000, आराजी संख्या 236 रकबा 0.1900, तथा आराजी संख्या 237 रकबा 0.0600 कुल किता 4, कुल रकबा 0.6000 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की स्थित है जो सम्पूर्ण रूप से प्रार्थी के नाम राजस्व विलेखों में अंकित है। उक्त आराजियात में से कुल 0.3650 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अवाप्त की जा चुकी है तथा शेष भूमि प्रार्थी के आधिपत्य में चली आ रही है जिसका वह उपयोग, उपभोग कर रही है। प्रार्थी की भूमि का जुज हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्माण में जा चुका है तथा इस अवाप्तशुदा हिस्से पर सडक बन चुकी है जिससे प्रार्थीया की भूमि की कीमत अत्यधिक बढ गयी है जिसकी वजह से कई लोग इस पर बुरी नीयत गढाये हुए है व प्रार्थीया की भूमि को हडपने का कृत्य करते है किन्तु प्रार्थीया के प्रबल विरोध के कारण वे सफल नही हो पाये है। अभी दिनांक 18–03–2024 को कुछ असामाजिक तत्व प्रार्थी की उक्त सम्पति में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गया तथा उसने प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से इस भूमि पर बनी हुई प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल को तोड

दिया और अपना अवैध आधिपत्य जमाने की उसमें गढ्ढें खोदने का प्रयास किया जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। उक्त असामाजीक तत्वो ने जानबूझकर अपने आपको काबिज बताने की नियत से प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल को तोड दिया व अब इस सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने की नीयत रख रहा है। समस्त विवादो के शमन हेतु प्रार्थी की भूमियो के मध्य पत्थरगढी कराई जानी आवश्यक है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। मजबुरन प्रार्थी पत्थरगढी के लिए प्रकरण आप न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु विवश है। इस हेतु समस्त शुल्क व्यय व प्रभार प्रार्थी वहन करने हेतु तत्पर एवं तैयार है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य विधिवत् सीमांकन कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रकरण में विवादित आराजीयात तहसील कुराबड़ की होने से तहसीलदार कुराबड़ को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में धारा 151 जा.दी. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयोजित किया जाता है। तहसीलदार कुराबड़ की तरफ से उपस्थिति अधिवक्ता कल्पित जैन पैरोकार सरकार द्वारा दी गई। विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब अवसर बंद किए गए।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 'भोजराज गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (S.B. Civil Writ Petition No. 14233/2018)' का हवाला देते हुए पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कराये जाने का कथन किया गया, जिसमें धारा 111 व 128 के तहत सीमांकन को राजस्व प्राधिकारियों का विधिक कर्त्तव्य माना गया है तथा पड़ौसी खातेदार को माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार नहीं होने से उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं बताया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत अवलोकन कर अध्ययन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की मुख्य राहत उसकी कृषि भूमि आराजी संख्या 236, 237 के तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अवाप्ति में आराजी संख्या 235, 234 के पश्चात शेष रही भूमि का सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाने की है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में वर्णित आराजियात की खातेदार होकर अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी कराने की अधिकारी होता है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 102/25 प्रा.पत्र
अनवान शान्ता देवी बनाम सरकार
निर्णय प्रा.पत्र 128 एल.आर. एक्ट

2025/229

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कुराबड़ को 1000/– रु. के शुल्क पर कमिशनर नियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम झरनो की सराय, पटवार मण्डल देबारी, तह० कुराबड़ में प्रार्थी की आराजी संख्या 236, 237 की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि को छोडकर शेष रही भूमि का उक्त आराजीयात के पडौसी आराजीयात के खातेदारों को जरिये नोटिस/सम्मन सूचित कर उनकी उपस्थिति में राजस्व नक्शा एवं तरमीम अनुसार सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करांवे। तहसीलदार कुराबड़ पत्थरगढ़ी करा पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी उपरांत उनके खातेदारी भूमि पर विपक्षी अथवा अन्य पडौसी खातेदारों का कब्जा होने पर कब्जा प्राप्ति हेतु नियमानुसार वाद प्रस्तुत कर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

(अवुला सांईकृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर